प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2015

विषय: यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, सेक्टर-24 में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास, परिचालन एवं प्रबन्धन हेतु स्पेशल परपज वेहिकल के सहभागी के चयन हेतु एकसप्रेशन आफ इन्ट्रेस्ट आमंत्रित किये जाने के संबंध में एवं इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास के सम्बन्ध में ट्रांजेक्शन एडवाइजर/कन्सल्टेण्ट द्वारा की गई यात्राओं के भुगतान हेतु रू0 6,57,664/- की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2015-16), दिनांक 30-10-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 का क्रियान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2.15 करोड में से पूर्व में शासन के आदेश संख्या-511/78-1-2015-50आई0टी0/2015, दिनांक 08-06-2015 द्वारा रू0 75,95,536/-, शासन के आदेश संख्या-985/78-1-2015-50आई0टी0/2015 टीसी, दिनांक 24-09-2015 द्वारा रू0 69,54,000/- एवं शासनादेश संख्या-1149/78-1-2015-50आई0टी0/2015 टीसी, दिनांक 24-09-2015 द्वारा 62,92,800/- की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार कुल रू0 2,08,42,336/- की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रू0 6,57,664/- की धनराशि अवशेष है। अवशेष धनराशि रू0 6,57,664/- (रूपये छः लाख सत्तावन हजार छः सौ छत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, सेक्टर-24 में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास हेतु स्पेशल परपज वेहिकल के सहभागी के चयन हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन के माध्यम से निविदा सूचना के प्रकाशन के आयोजन एवँ इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास के सम्बन्ध में ट्रांजेक्शन एडवाइजर/कन्सल्टेण्ट द्वारा की गई यात्राओं के भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लि0, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में "लेखा शीर्ष-2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-04 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-29/2015/1302(1)/78-1-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5& निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।

9- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ ।

11- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।